

बिहार सरकार,
ऊर्जा विभाग

कार्यालय आदेश

का० आ० सं०— प्र०१/विविध-३२/०८—

62

पटना, दिनांक

30/8/12

श्री अशोक कुमार, कनीय अभियंता (विद्युत) भवन निर्माण विभाग की सेवा बिना किसी अध्याचना के ऊर्जा विभाग को उपलब्ध करायी गयी थी⁵⁷ की सेवा तत्कालिक प्रभाव से भवन निर्माण विभाग^{विद्युत/पटना} की वापस की जाती है।

[Signature]
30/8/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— प्र०१/विविध-३२/०८—

3755

पटना, दिनांक 30/8/12

प्रतिलिपि:—सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
30/8/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— प्र०१/विविध-३२/०८—

3755

पटना, दिनांक 30/8/12

प्रतिलिपि:— उप सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/मुख्य विद्युत निरीक्षक/विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य अंचल, पटना/वरीय विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
30/8/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— प्र०१/विविध-३२/०८—

3755

पटना, दिनांक 30/8/12

प्रतिलिपि:—श्री अशोक कुमार, कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत निरीक्षणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
30/8/12

सरकार के उप सचिव।